

**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश, ग्वालियर**  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I) M.P., GWALIOR

क्र.प्रशा-11/स-7/वि.वे.निर्धा./का.आ-96

दिनांक:-24-10-2024

**कार्यालय आदेश/Office Order**

मुख्यालय के पत्र क्रमांक-1450/7/कल्याण/खेल-कूद/2024-25/3 दिनांक 11.10.2024 के अनुपालन में निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम (3) में दर्शाई गयी राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के फलस्वरूप मूलभूत नियम के एपेन्डिक्स-11 के तहत उनके नाम के समक्ष कॉलम (5) में दर्शाये गये वेतनमान के अनुसार कॉलम (6) में दर्शाये गये दिनांक से कॉलम (7) में दर्शायी गयी विशेष वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जाती है-

In compliance with Headquarters' letter No.1450/07/Welfare/Sports/2024-25/3 dated 11.10.2024, the following officials are granted special increment in the form of personal pay shown in column (7) against their names from the date shown in column (6) in pay scale shown in column (5) consequent upon participation in sports events of national importance shown in column (3).

नाम एवं पदनाम Name & Designation	खेल एवं उसमें स्थान Sports, Discipline & Position secured	खेल प्रतियोगिता का नाम, स्थान एवं अवधि Name of sports tournament, Place & period	अग्रिम वेतनवृद्धि संख्या No. of Advanced Increment	वेतनमान Pay band	वैयक्तिक वेतन प्रभावी होने की तिथि Effective date of personal pay	वैयक्तिक वेतन राशि Amount of personal pay
1	2	3	4	5	6	7
श्री सुचित कुमार Shri Suchit Kumar	Table Tennis, RSB	AICS Table Tennis Tournament	प्रथम First	Level-11 (67700-208700)	01.04.2024 से	1470

Sr AO (01/10169)	Indore Illrd (T hird T eam e vent)	ent 2023- 24 held at Gandh inagar, G ujrat fro m 10/03 /2024 to 14/03/20 24				
श्री आदित्य डे Shri Aditya De y Clerk (05/11489)	-do-	-do-	प्रथम First	Level-2 (19900- 63200)	01.04.2024 से	480

उपर्युक्त वैयक्तिक वेतनवृद्धि उक्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति तक अथवा नयी दरें लागू होने तक, जो भी पहले हो, कॉलम (7) में दर्शायी दर से देय होगी तथा इसे वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति पर देय प्रसुविधायें, महंगाई भत्ता, सी.सी.ए. आदि किसी भी सेवा मामले में गणना में नहीं लिया जावेगा ।

Above personal pay shall be payable to the above officials at the rate shown in Col.(7) till retirement or till implementation of new rates, whichever is earlier, and it shall not be counted for any service matter like pay fixation, retirement benefits, DA, CCA etc.

(प्राधिकार:- महालेखाकार महोदया के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन -11

क्र.प्रशा-11/स-7/वि.वे.निर्धा./

दिनांक:- 24-10-2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित-

- 1 सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),म.प्र.,ग्वालियर।
- 2 वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, म.प्र.,ग्वालियर।
- 3 उप निदेशक, डाक एवं तार, दूरसंचार (लेखापरीक्षा) म.प्र., भोपाल -462012

- 4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रभारी कल्याण शाखा
- 5 भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखाभवन, ग्वालियर।
- 6 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ITA, को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015-Estt. (Pay-I) 18/03/2015 दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु 5 (ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के 03 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है तो इस अनुभाग को तत्काल सूचित करें।
- 7 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ IS wing (For Intranet and Internet)
- 8 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13,14
- 9 श्री नरेश कुमार आहुजा, स.ले.प.अ. प्रशासन-14 को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट संबंधी कार्य हेतु।
- 10 संबंधित कर्मचारी
- 11 गार्ड फाइल
- 12 सूचना पटल

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11